राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–1215/2025

राजेश ओला

–अपीलार्थी

<u>बनाम</u>

1. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, तिलक मार्ग, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक (अराजपत्रित) एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जोन, जयपुर।
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुंझुनू।
5. खण्ड मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चिड़ावा, जिला झुंझुनू।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 21.01.2025
आदेश की दिनांक : 18.02.2025
उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री अनिल महला, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री संजीव सिंघल, राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)

<u>आदेश</u>

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी वर्तमान में नर्सिंग ऑफिसर के पद पर कार्यरत है। आलोच्य आदेश क्रमांक राजहैल्थ/टी.सी./2025/24 दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का पदस्थापन/ स्थानांतरण उप जिला अस्पताल, चिड़ावा, झुंझुनू से एसएमएस मेडिकल कॉलेज, जयपुर में किया गया है और आलोच्य आदेश क्रमांक राजहैल्थ/टी.सी. /2025/30 दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–2) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण उप जिला अस्पताल चिड़ावा, जिला झुंझुनू से सीएचसी दियात्रा, ब्लॉक कोलायत, बीकानेर में किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य रूप से तर्क है कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा बिना मस्तिष्क का प्रयोग किए अपीलार्थी

के स्थानांतरण आदेश क्रमांक 24 एवं 30 पारित किये गये है, जिसमें अपीलार्थी को दो भिन्न जगहों पर स्थानांतरित किया गया है।

3. हमनें अपीलार्थी द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया।

4. हम पाते हैं कि स्थानांतरण आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) एवं 15.01.2025 (अनुलग्नक–2) दोनों आदेशों में नोट संख्या–5 में यह अंकित किया गया है कि ''किसी कार्मिक का एक से अधिक स्थानों पर/एक से अधिक सूची में स्थानांतरण हो जाने की स्थिति में आदेश के क्रियान्वयन से पूर्व निदेशालय से मार्गदर्शन प्राप्त किया जाए।'' अतः उक्त नोट से स्पष्ट है कि अपीलार्थी का दो स्थानांतरण आदेशों के द्वारा एक ही स्थान से दो भिन्न जगहों पर स्थानांतरण किया गया है तो ऐसी स्थिति में आदेशों के क्रियान्वयन से पूर्व निदेशालय से मार्गदर्शन प्राप्त करना होगा। उपरोक्त नोट को दृष्टिगत रखते हुए इस अपील का निस्तारण इस आदेश के साथ किया जाता है कि अपीलार्थी के संबंध में निदेशालय से मार्गदर्शन प्राप्त होने तक अपीलार्थी को उसी स्थान पर कार्यरत रखा जावें, जहां वह चुनौती आदेश जारी किये जाने से पूर्व कार्यरत था।

5. उपरोक्त आदेश के साथ इस अपील का निस्तारण किया जाता है।

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)

(विकास सीतारामजी भाले)
(अध्यक्ष)